

कार्यालय सामान्य वनमण्डल खण्डवा (म.प्र.)

दूरभाष क (0733)-2223244 फेक्स क (0733) 2224531 ई-मेल dfot.khd@mp.gov.in

क्रमांक/मा.चि./ऑनलाईन/2017/ 6833

खंडवा, दिनांक 19/12/17

प्रति,

कार्यपालन यंत्री,

जल संसाधन संभाग खण्डवा

विषय:- भाम मध्यम सिंचाई परियोजना के अंतर्गत डूब प्रभावित 148.75 हेक्टेयर वन भूमि हेतु वन अधिनियम 1980 के अन्तर्गत उपयोग हेतु वन प्रस्ताव की स्वीकृति के संबंध के संबंध में। प्रस्ताव क्रमांक - FP/MP/IRRIG/28814/2017.

संदर्भ:- आपका पत्र क्रमांक/कार्य/वनप्रकरण/3993 दिनांक 07.12.2017।

---000---

उपरोक्त विषय एवं संदर्भ में लेख है कि भाम मध्यम सिंचाई परियोजना के अंतर्गत डूब प्रभावित 148.75 हेक्टेयर वन भूमि हेतु वन अधिनियम 1980 के अन्तर्गत उपयोग हेतु वन प्रस्ताव की स्वीकृति के संबंध में प्रस्तावित योजना का वन एवं राजस्व वनभूमि पर स्थल पर स्पष्ट सीमांकन कराया जाकर संयुक्त प्रतिवेदन प्रस्तुत हेतु लेख किया गया था लेकिन मौके पर परिक्षेत्राधिकारी द्वारा बताया गया कि मौके पर सीमांकन नहीं किया गया है इससे वृक्षों की गणना नहीं हो पा रही है अतः मौके पर तत्काल सीमांकन कर प्रतिवेदन प्रस्तुत करें।

- 1 राजस्व वन भूमि में स्थित वृक्षों की गणना प्रतिवेदन भी अप्राप्त है। राजस्व वनभूमि का मौके पर स्पष्ट सीमांकन कर वृक्षों का गणना पत्रक प्रस्तुत करें।
- 2 प्रस्तावित योजना की ईमेज (50KB से कम) जेपीईजी फाईल एवं प्रस्तावित वैकल्पिक वृक्षारोपण की ईमेज एवं फोटोग्राफ्स KML एक्झाई फाईल की सीडी प्रस्तुत करें।
- 3 वनग्राम सरमेसर में डूब प्रभावित हितग्राहीयों के संबंध में पूर्ण प्रतिवेदन कृषकवार एकबे सहित प्रस्तुत करें।

उपरोक्तानुसार प्रतिवेदन एक सप्ताह के भीतर प्रस्तुत कराने का कष्ट करें।

वन संरक्षक

वनमंडल सामान्य खंडवा

पृष्ठांकन क्रमांक/मा.चि./ऑनलाईन/2017/ 6836

खंडवा, दिनांक 19/12/17

प्रतिलिपि :-

- 1- उपवनमंडलाधिकारी खण्डवा सामान्य की कार्यलयीन पत्र क्रमांक 6143 दिनांक 23.11.2017 के संदर्भ में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित। 148.75 हे0 वैकल्पिक वृक्षारोपण योजना हेतु उपलब्ध कराई गई भूमि की दस बर्षीय वैकल्पिक वृक्षारोपण योजना मय KML फाईल एवं मानचित्र के साथ तत्काल प्रस्तुत करावें
- 2- उपवनमंडलाधिकारी पश्चिम कालीभीत सामान्य की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित। वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अंतर्गत भाग - 2 में आवश्यक प्रविष्टि कराकर पूर्ण प्रस्ताव समय-सीमा में प्रस्तुत करावें।
- 3- परिक्षेत्राधिकारी खालवा एवं गुडी सामान्य की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित। भाग-2 में आवश्यक प्रविष्टि कर प्रभावित वृक्षों का गणना पत्रक एवं मयमानचित्र प्रस्तावित योजना की ईमेज (50KB से कम) जेपीईजी फाईल एवं निरीक्षण चेक लिस्ट के साथ पूर्ण प्रस्ताव उपवनमंडलाधिकारी के माध्यम से समय-सीमा में प्रस्तुत करें।
- 4- परिक्षेत्राधिकारी खण्डवा सामान्य की ओर पत्र क्रमांक 6143 दिनांक 23.11.2017 के संदर्भ में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित। पूर्ण प्रतिवेदन उपवनमंडलाधिकारी के माध्यम से तत्काल प्रस्तुत करें।

वन संरक्षक

वनमण्डल सामान्य खण्डवा